न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रेलवे),इलाहाबाद।

केस नं0 1/2018
मु0अ0सं0 785/2017
धारा 379 भा0दं0सं0
सरकार बनाम शमशाद आदि
थाना जी0आर0पी0 इलाहाबाद।

———

कमिटल आदेश

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर अभियुक्तगण शमशाद एवं अजीत वर्मा जेल से तलब होकर न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये। थाना जी0आर0पी0 इलाहाबाद के द्वारा अभियुक्तगण शमशाद एवं अजीत वर्मा के विरूद्ध धारा 379 भा0दं0सं0 के अंर्तगत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त को धारा 207 दं0प्र0सं0 का अनुपालन करते हुए नकलें प्रदान की गयीं।

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध थाना जी0आर0पी0 इलाहाबाद द्वारा मु0अ0सं0 974/17 धारा 411,413,414,379,394,419,473 भा0दं0सं0 के अंर्तगत भी आरोप–पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जो माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मु0अ0सं0 785/2017 धारा 379 भा0दं0सं0 की फर्द बरामदगी एवं अन्य प्रपत्र तथा मु0अ0सं0 974/17 धारा 411,413,414,379,394,419,473 भा0दं0सं0 की फर्द बरामदगी एवं अन्य प्रपत्र एक ही हैं। अतः अभियुक्तगण उपरोक्त का उक्त मु0अ0सं0 602/2017 धारा 379 भा0दं0सं0 का मुकदमा मु0अ0सं0 974/17 धारा 411,413,414,379,394,419,473 भा0दं0सं0 के साथ ही विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय के सुपुर्द किया जाता है।

अभियुक्तगण शमशाद एवं अजीत वर्मा न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध हैं। अतः अभियुक्तगण शमशाद एवं अजीत वर्मा अन्यथा आदेशित होने तक इस मामले में न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध रहेंगे।

पत्रावली कैलेण्डर सहित बनाकर माननीय सत्र न्यायालय को भेजी जाये। डी.जी.सी. (क्रिमिनल) को सूचित किया जाये। अभियुक्तगण दिनांक 16.4.2018 को माननीय सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो।

दिनांकः 2.4.2018

(अशोक कुमार श्रीवास्तव)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(रेलवे),
इलाहाबाद।